

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय

तहसील सिकराम

विषय: मार्गदर्शन चाहे बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भंडगावा

साविके ख.नं. 6 खण्ड 7-05 वीसा हाल ख.नं. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 में जमाबंदी सम्वत् 2060-2063 के कारा संख्या 85 अंशुला

पुत्र मौरिया दि. 114 दर्ज है। नामा सं 427 के विषय में रामसहाय के रामदेव रामकरण पि. रामसहाय (डीआ) इस प्रकार रामदेव का

बनना है रामदेव द्वारा नामा. सं. 430 विक्रमपत्र से दि. 118 हरिनाराय कानाराय दि. 118 कोम मीना निवासी राजवासे के विक्रम कर दिया

पुनः नामा. संख्या 440 से रामदेव द्वारा 118 की जगह रामदेव केलाशचन्द्र पि. रामस्वरूप दि. 118 जॉर मीना निवासी डौलिका के कर दिया गया।

इस प्रकार रामदेव के दि. 118 का दो कार होने के सम्पूर्ण जॉर की दि. 118 बढ़ जाया है। जिससे 3

DILRMP के तहत अपवादित पाया गया है। अतः श्रीमानजी है कि उक्त प्रकार में क्या किया जावे स्पष्ट मार्गदर्शन

संलग्न दस्तावेज अवलोकनाय

1. जमाबंदी सम्वत् 2060-63, 2064-67, 2068-71 ओझा वर्ष, 2068-71, 2072-75
2. नामा. सं. 430, 440

पञ्जारी गोगाशवा (9.1.18)